न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या –: 244 / 2017

1–गंगा सहाय

2–ग्यारसी लाल

3–लालचन्द

4–देवनारायण

पुत्रान महादेव समस्त जाति मीणा निवासी–ग्राम बाढ बलदेवपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज0। **–अपीलांट्स**

बनाम

1–गंगा राम पुत्र श्योचन्दा

2–नैनु पुत्र श्योचन्दा

3–गोपी पुत्र श्योचन्दा

4–छीतर पुत्र कल्याण

समस्त जाति मीणा निवासी–ग्राम बाढ बलदेवपुरा तहसील कोटखावदा

जिला जयपुर राज0

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर, राज.।

––––रेस्पोडेंट्स––

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री निर्मल कुमार जैन अपीलान्टस की ओर से।

2– श्री ज्ञानेश्वर बाढदार रेस्पोडेंट् स. 1 लगायत 4 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक : 23–02–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 3–4–2017 मुकदमा नम्बर 219 / 2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 89 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम बाढबलदेवपुरा तहसील कोटखावदा में वादीगण की भूमि कुल किता 09 कुल रकबा 3.75 हैक्टेयर स्थित है इसके लगवा ही प्रतिवादी गण/रेस्पोडेन्टस की भूमि स्थित है तथा दोनों खातेदारान की सीमाओं का विवाद है। वादीगण द्वारा यह भी कथन किया गया कि वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा अपनी भूमि के मध्य मिट्टी की पुख्ता डौल बनाई हुई है तथा वे कब्जा काश्त है। दिनांक 3–6–2013 से दिनांक 6–6–2013 के मध्य प्रतिवादीगण द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश भू–प्रबन्ध अधिकारियों के द्वारा वादीगण को सुचित किये बगैर करवाई गई है तथा जिसमें वादीगण की भूमि में भी प्रतिवादीगण की भूमि निकाल दी गई है।इसके आधार पर प्रतिवादीगण मौके पर जबरन कब्जा लेने के प्रयास में लगे है। इस पर वादीगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष सीमाज्ञान का प्रार्थना–पत्र लगाया गया तो गिरदावर व पटवारी ने भी प्र–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई रिपोर्ट को सही नहीं माना गया। इस पर वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 10–07–2013 को पुनः सीमाज्ञान के आदेश दिये गये जो कि अभी तक लम्बित है।इसी दौरान प्रतिवादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से दिनांक 23–8–2013 को भू–प्रबन्ध विभाग की पैमाईश के आधार पर कब्जा प्राप्त करने का आदेश प्राप्त कर लिया गया।उक्त आदेश की आड में वादीगण की भूमि पर कब्जा करने की कार्यवाही की जानी संभावित है।वादीगण द्वारा उक्त कथन कर अपने खेतों की पुख्ता सीमा कायम करवाने की घोषणा प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का अनुतोष चाहिए जाने बाबत दावा प्रस्तुत किया गया। दावे के विचारण के दौरान दिनांक 16–9–2013 को प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना–प़ अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक मुकदमा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पूर्वज महादेव द्वारा उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष पेश किया गया था जो दिनांक 30–9–2003 को निर्णित होकर खारिज कर दिया गया था उक्त निर्णय की अपील भी राजस्व मण्डल तक खारिज की जा चुकी है। उक्त निर्णय के आधार पर वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान ईडीएम मशीन द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग की टीम से करवाया जाकर दिनांक 19–08–2013 को सीमा ज्ञान अनुसार कब्जा लिये जाने का आदेश प्रतिवादी गण द्वारा प्राप्त किया गया है। वादीगण का वाद रेसजूडिकाटा से बाधित होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है तथा इसे खारिज फरमाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–4–2017 द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 खारिज कर दिया गया तथा भू–प्रबन्ध विभाग व तहसीलदार को वादग्रस्त भूमि की पुनः पैमाईश हेतु लिखे जाने के आदेश दिये जाकर वाद को अंतिम रूप से निर्णित कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद–पत्र में लिये गये अभिवचनों को दौहराते हुए उल्लेख किया गया है कि अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 तो औचित्यहीन होने के कारण खारिज कर दिया गया परन्तु साथ ही पुनः पैमाईश के आदेश जारी कर दावे को भी निर्णित कर दिया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय को दावे में तनकी बनाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु प्रशासनिक आदेश को ही अंतिम बनाते हुऐ दावे को भी निर्णित कर दिया गया जो निरस्त योग्य है।दावा पुख्ता सीमाओं की घोषणा का था साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का था जिन्हें साक्ष्य सबूत लिया जाकर निर्णित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है अपीलाधीन निर्णय नॉन स्पीकिंग निर्णय है जिसका विधि में कोई महत्व नहीं है। अपीलान्टस द्वारा उक्त कथन कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03–04–2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस द्वारा दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उचित तौर पर खारिज किया गया परन्तु प्रार्थना–पत्र के साथ ही दावे को भी खारिज करदिया गया,जब कि दावा नियमित सुनवाई के उपरान्त निर्णित किया जाना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 में पारित निर्णय की अपील संधारण योग्य नही है बल्कि उसकी रिवीजन ही चलने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का दावा डिक्री किया गया है इसलिए वादीगण द्वारा एक बोगस अपील प्रस्तुत की गई है जो कि कानूनन चलने योग्य नही है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 89 व 92 ए के अन्तर्गत प्रस्तुंत किया गया था। धारा 89 (ख) के अनुसार 'भूमि क्षैत्र के क्षैत्रफल नम्बर लगाये हुए प्लाट अथवा उसकी सीमाए' के संबंध में घोषणा का वाद लाया जा सकता है।इसी प्रकार धारा 92 ए के अनुसार निषेधाज्ञा का दावा

भी संधारण योग्य है।अधिनरस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11को तो खारिज किया गया है परन्तु दावे में नियमित अग्रिम सुनवाई नहीं की जाकर पुनः पैमाईश के आदेश मात्र दिये जाकर दावा निर्णित कर दिया गया है जो कि उचित नहीं है।पैमाईश के आदेश दिया जाना दावे की प्रकिया का हिस्सा तो हो सकता है परन्तु वह अंतिम निर्णय की परिभाषा में कतई नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम की जाकर तथा साक्ष्य सबूत लिये जाकर वाद को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया जाकर एक नॉन स्पीकिंग एवं अपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो कि बहाल रखा जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03–04–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि संपूर्ण विधिक प्रकिया अपनाई जाकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 23–02–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर